राजस्थान सरकार

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति

स्वास्थ्य भवन, जयपुर

क्रमांक : एफ29(36)NRHM/MMJRK/circular/09/3010 दिनांक : 21.7.2009

1. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, समस्त मेडिकल कॉलेज
2. अधीक्षक, समस्त संबंद्ध चिकित्सालय
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी समस्त
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी समस्त जिला चिकित्सालय
5. प्रभारी समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
6. प्रभारी समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
7. C.O.I.T कृपया समस्त को e mail करावें।

विषय : – मुख्यमंत्री बी0पी0एल0 जीवन रक्षा कोष योजना (1 जनवरी 2009) के संबंध में मुख्य दिशा–निर्देश।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष योजना का प्रारम्भ राज्य मे 1 जनवरी 2009 से किया गया। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के बी0पी0एल0 मरीजो का मेडिकल कॉलेज से सम्बन्ध चिकित्सालयों, जिला एवं सैटेलाइट चिकित्सालयो, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो के आउटडोर एवं इन्डोर में "पूरी जाँच, मुफ्त दवा और पूरा निदान, निर्धन (बी0पी0एल0) का इलाज होगा, बिना कोई भुगतान"।

इस योजना मे मेडिकल कॉलेज एवं इनसे संबंध चिकित्सालयो मे रोग संबंधी उपचार एवं निदान की सुविधा नही होने पर राज्य के बाहर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली अथवा स्नात्कोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चण्डीगढ़ मे भेजा जायेगा। मेडिकेयर रिलीफ समितियों द्वारा निःशुल्क दवाईयाँ कृत्रिम अंग व उपकरण उपलब्ध करवाये जाएंगे।

इस योजना के संबंध मे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग द्वारा राज्यादेश क्रमांक प0 19(2)चिस्वा/2/2009 दिनांक 29.01.2009 एवं परिपत्र क्रमांक दिनांक 05.02.2009 को जारी किये हैं। इन दोनो की प्रति आपको भिजवाई जा चुकी है। इस पत्र के साथ संलग्न कर पुनः भिजवाई जा रही है । राज्यादेश एवं परिपत्र मे इस योजना का विस्तृत एंव स्पष्ट उल्लेख किया गया है । कृपया इस योजना का अध्ययन करें एवं जिस बिन्दु के संबंध मे आपको किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो अवगत करावें। यह योजना विभाग की वेबसाईट – www.rajswasthya.nic.in पर भी उपलब्ध है।

योजना की क्रियान्विति के संबध में आप द्वारा किये गये कार्यों की मासिक सूचना समय पर एवं सही तौर से प्राप्त होना आवश्यक है। प्रायः यह देखने मे आया है कि आप द्वारा मासिक सूचना समय पर नही भिजवाई जा रही है जिसके कारण मुख्यमंत्री कार्यालय को समय पर सूचना नही भिजवाई जा सकती। आपको पूर्व मे निर्देशित किया गया था कि आप मासिक सूचना माह समाप्ति के 3 दिन पश्चात ई–मेल एवं डाक दोनों द्वारा भिजवायेंगे।

मासिक सूचना के संबध मे यह भी उल्लेख करना चाहूँगा कि आप द्वारा अभी तक अंतरिम (provisional) सूचना ही दी जा रही है। माह जून, 2009 की सूचना भिजवाते समय माह मई 2009 की

अंतिम सूचना आप द्वारा भिजवाई जावें। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 05.02.2009 के साथ परिशिष्ट–3 संलग्न किया गया है, उसमें मासिक सूचना माह समाप्ति के 15 दिन पश्चात् निश्चित तौर से भिजवायें।

इस योजना बाबत आपसे संबंधित चिकित्सा संस्थान में किसी प्रकार की शिकायत, दैनिक अखबारों में प्रकाशित खबर, जिला सतर्कता कमेटी में दर्ज शिकायत व सूचना आयोग द्वारा सूचना मांगी गई हो तो तुरन्त मुझे तथ्यात्मक रिपोर्ट सहित प्रस्तुत करें, ताकि उस पर आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जा सके।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के द्वारा एक विशेष ऑनलाईन मॉनिटरिंग प्रणाली हेतु सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। सॉफ्टवेयर के संबंध मे एच0सी0एम0 रीपा, जयपुर में दिनांक 23 से 25 जून, 2009 तक एक दिन का प्रशिक्षण दिया गया। आप द्वारा मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष योजना की प्रतिदिन की रिपोर्ट ऑनलाईन भिजवाई जानी है। इस संबंध में आपको कोई कठिनाई हो तो इस विभाग को अथवा एन0आई0सी0 विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों से दूरभाष/ई–मेल से सम्पर्क करें –

क्र.सं.	नाम	पद	मो0 नम्बर	ई–मेल
1.	श्री किशनाराम ईशरवाल	PD - MMJRK	9413348564	kishanaram@yahoo.co.in
2.	श्री डी. पी. कानूनगो	Consultant - MMJRK	9314647636	co_mmjrk.nrhm@yahoo.in
3.	श्री सोमेश सिंह	Consultant - IT	9887283641	medicalcsr@yahoo.co.in
4.	श्री तरुण तोषनीवाल	Technical Director	9829616256	tarun.toshniwal@nic.in
5.	श्री ललित गोयल	Principal System Analysis	9928018282	lalit.goyal@nic.in

मुख्यमंत्री बी0पी0एल0 जीवन रक्षा कोष योजना का अध्ययन कर इस संबध मे कोई स्पष्टीकरण आप द्वारा चाहा जावे या आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो मुझे अथवा परियोजना निदेशक एम.एम.जे.आर.के. को अर्द्ध–शासकीय पत्र भिजवायें। इसके अतिरिक्त मैं यह निर्देशित करना चाहूँगा कि आप मासिक सूचना समय पर भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(आर. के. मीणा)

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
शासन सचिवालय, जयपुर